(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78)

O.I.G.S.

डाक पंजीयन क्रमांक RJ/JPC/205/2018-20

सत्यमेव जयते

राजस्थान रोज़गार संदेश

(पाक्षिक)

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 43 अंक 19 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 15 नवम्बर, 2020 फोन : 2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु.

राजस्थान रोजगार संदेश की ओर से पाठकों, विज्ञापनदाताओं व वितरकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपकी जानकारी के लिए

वर्तमान दौर में महिलाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर

- श्रीमती नवरेखा
संपादक, राजस्थान रोजगार संदेश

वर्तमान समय में महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। वे भी परिवार के पुरूष सदस्य की भाँति ही अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करना और पैसा कमाना चाहती हैं। बदलती जीवन शैली, महंगाई का दौर और हर वस्तु की बढ़ती कीमतें देखकर आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा महिलाएँ घर संभालने के साथ-साथ परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की ओर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं। इस प्रकार वे अपनी रूचि, Skill व Talent का उपयोग करके अपने खाली समय का सदुपयोग कर कुछ Productive करना चाहती हैं।

परन्तु कभी-कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे बाहर जाकर नौकरी करने मे असक्षम होती है। इसलिए घर के आस-पास व घर में रहकर किये जाने वाले कार्यों की उन्हें तलाश होती है। वस्तुतः अवसर हमारे आस-पास ही हैं। आवश्यकता है जागरूक होने की। इस लेख मे कुछ ऐसे ही रोजगार के अवसरों के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें घर पर रहकर महिलाएँ कर सकती है तथा वे स्वयं व परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकती है। इस प्रकार वे समाज व देश के विकास मे सकारात्मक भागीदार भी हो सकती हैं।

1. फैशन डिज़ाइनर

आजकल लोग डिज़ाइनर कपड़े पहनने के काफी शौक़ीन होते जा रहे हैं। फैशन के बारे में जानकारी रखने वाली महिलाऐं इस क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा सकती है। यह अपने घर में ही एक छोटा सा फैशन स्टोर शुरू कर स्वरोजगार का अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप पहले से ही इस फील्ड से न जुड़ी हों तो भी आप कोई short-term course करके इस तरह का काम शुरू कर सकती हैं।

2. कोचिंग क्लासेज

यदि आपकी पढ़ने और पढ़ाने में रूचि है तो ये आपके लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर है। ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आपकी teaching skills अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हैं। साथ ही ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी भी outdated नहीं होता, आपके पास हमेशा काम होता है और निरन्तर आपकी आय बनी रहती है। इस व्यवसाय की मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया और ऑफलाइन मार्केटिंग रणनीति जैसे पंपलेट, होर्डिंग्स आदि का उपयोग कर सकती है। साथ ही अपने आस-पास वाले लोगों को मौखिक रूप से भी बता सकती है।

3. टिफिन सेंटर

लोग नौकरी ढूंढने के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी प्रकार अनेक घरों में बच्चों के बाहर चले जाने पर बुजुर्ग माता-पिता घर पर अकेले रह जाते हैं तथा उन्हें खाना बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनको घर में बना हुआ खाना मिल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस कारण से टिफ़िन सर्विस का प्रचलन बढ़ गया है। जिसमें महिलाएँ घर में बने खाने का टिफ़िन सर्विस शुरू कर अपनी आय बढ़ा रही हैं। इसके लिए आपको फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा। इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप होस्टल, हॉस्पिटल और ऑफिस आदि से भी गठबंधन (टाई अप) कर अच्छी कमाई कर सकती है।

4. कृत्रिम आभूषण (आर्टिफीशियल ज्वैलरी)

वर्तमान समय में कृत्रिम आभूषणों का प्रचलन बढ़ गया है। अमीर हो या गरीब आज हर कोई इन्हें पहनना पसंद करता है। महिलाएँ कम लागत में घर पर रहते हुए ही आर्टिफीशियल ज्वैलरी का भी व्यवसाय कर सकती है। इसके लिए उन्हें होलसेलर की तलाश करनी होगी जो सस्तें में अच्छी डिजाइनर ज्वैलरी उपलब्ध करवा सके। ज्वैलरी का भाव आप सोच समझकर रख सकती है।

5. होम बेकर

अगर आपको केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि बनाने में रूचि है तो आप एक होम बेकर के रूप में खुद को स्थापित कर सकती है और अच्छा नाम और पैसा कमा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको बेकिंग से जुड़ी सारी बातों को अच्छे से सीखना होगा साथ ही बेकिंग से जुड़े सारे सामान को भी खरीदना होगा। आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस और जीएसटी नंबर लेना होगा। आप इसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया, फूड फेस्टिवल्स और पंपलेट आदि के जरिये कर सकती है।

6. यू-ट्यूब और ब्लागिंग

अगर आपको लिखना पसंद है और लोगों तक देश दुनिया की बातें पहुंचाना आपको अच्छा लगता है तो आप अपने खुद का यू-ट्यूब चैनल और ब्लॉग को शुरू कर सकती है। ये भी आज घर पर से कमाई करने का अच्छा साधन है। आप आपका ब्लॉग और चैनल अपनी रूचि के हिसाब से शुरू कर सकती है जैसे खाना, टेक्नोलॉजी, हैल्थ टिप्स आदि।

7. फॉर्म फिलिंग एवं डाटा एंट्री

सारे काम आजकल इंटरनेट और ऑनलाइन होने के कारण अधिकतर कंपनी को कम्प्यूटर या पोर्टल पर डाटा एंट्री करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप भी घर बैठे फॉर्म फिलिंग और डाटा एंट्री करके अच्छा खासा कमा सकती है। इसके लिए आपकों सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत होती है। आप इन जॉब्स को इंटरनेट और जॉब पोर्टल के जरिये ढूंढ सकती है।

8. डे-केयर

आजकल अधिकतर माता-पिता कामकाजी होते है, ऐसे में उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए सुरक्षित और अच्छी जगह की आवश्यकता होती है। वे अपने बच्चे की देखभाल के लिए किसी अच्छी जगह को ढूंढते है। इस व्यवसाय में बच्चों की देखभाल करनी होती है साथ ही उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़े खिलोने, पलंग, गद्दे, किताबें आदि की जरूरत हो सकती है। इस व्यवसाय में आप्र अपने साथ एक आया को भी काम पर रख सकते है। स्टॉफ की संख्या बच्चों की संख्या पर निर्भर हो सकती है।

9. प्रोजेक्ट मेकर

आजकल पब्लिक स्कूलों में आए दिन बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं जो कि अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। खास तौर पर कामकाजी माता-पिता के लिए। आप इसमें उनकी मदद कर आमदनी कर सकती है।

10. योगा सेंटर

आजकल सभी लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक है और बहुत से लोग योग सीखना चाहते है। इस तनावपूर्ण व भाग-दौड़ की जिदंगी में योग शांति की तलाश में लगे लोगों के लिए के आप योगा सेंटर घर से ही शुरू कर सकती है। इसके लिए आपको योगा में डिप्लोमा कोर्स करना होगा। इस व्यवसाय का फायदा यह है कि खुद स्वस्थ रहते हुए आप आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते है।

11. कार्ड मेकिंग

आजकल किसी भी अवसर पर कार्ड देने का प्रचलन बढ़ गया है जैसे जन्मदिन, सालगिरह आदि। आज हर कोई अपनी पसंद का कस्टमाइज्ड कार्ड लेना पसंद करता है, यदि आपकी इस क्षेत्र में रूचि है तो आप लोगों की पसंद के कार्ड और गिफ्ट तैयार कर सकती है।

12. बर्थ डे प्लानर

आजकल की व्यस्त दिनचर्या एवं माता-पिता के कामकाजी होने के कारण परिवार में होने वाले आयोजनों को वे समय नहीं दे पाते है। अगर आपकी ऐसी रूचि है और आप चाहे तो अपने आस-पास के बच्चों के बर्थ डे प्लानर के तौर पर अपनी सेवाएं दे सकती है। और यह भी एक अच्छा रोजगार का विकल्प हो सकता है।

13. आचार व पापड़ बनाना

आजकल बाजार में बहुत तरह के आचार उपलब्ध है लेकिन घर के बने हुए आचार की बात अलग ही होती है। अगर आपको भी स्वादिष्ट आचार बनाने में रूचि है तो आप भी आचार बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकती है।

इसी तरह से आप घर में ही पापड़ बनाकर भी आजीविका कमा सकती है।

अन्य क्षेत्र भी है जो कि इस प्रकार है -

- कपड़ों की री-सेलिंग
- साबुन बनाना
- फाइनेंसियल एडवाइजर
- मोमबत्ती व अगरबत्ती बनाना
- आर्गेनिक फार्मिंग
- कॉस्मेटिक सेलिंग
- सॉफ्ट टॉय मेकिंग
- होम ट्रांसलेशन जॉब/ट्रांसलेटर
- ऑनलाइन सेलिंग
- फ्रीलान्स राइटर
- ऑनलाईन सर्वे
- ऑनलाईन ट्यूशन

इस प्रकार महिलाएँ अनेक क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार स्थापित कर अपने सपनों को उड़ान दे सकती है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है।

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

संयुक्त विज्ञापन संख्या : 04/परीक्षा/सहायक आचार्य/कॉलेज शिक्षा/EP-I/2020–21 **दिनांक : 02.11.2020**

आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अन्तर्गत सहायक आचार्य (Assistant Professor) के निम्नलिखित विषय पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते है। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

Post S.No.	Name of Subject	No. of Post(s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S				Horizontal Resevation	
			सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	विशेष योग्यजन	Ex-service man
1	Botany	33	11	3	1	0	4	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-3 (Backlog), I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD -1	1
2	Chemistry	40	12	3	1	0	5	1	0	0	3	1	0	0	6	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	B/LV-2, HI-1, LD/CP-3 (Backlog), I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	2
3	Maths	34	11	3	1	0	4	1	0	0	3	0	0	0	5	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	B/LV-1, HI-1	1
4	Physics	35	11	3	1	0	4	1	0	0	3	1	0	0	5	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-1 (Backlog), I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	1
5	Zoology	30	10	2	1	0	3	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-1, I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	1
6	A.B.S.T.	82	22	7	2	0	10	2	1	0	7	2	0	0	12	4	1	0	3	1	0	0	6	2	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-1, I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	4
7	Business Administration	127	34	10	4	0	14	5	1	0	11	3	1	0	19	5	2	0	5	1	0	0	9	2	1	0	B/LV-2, HI-2, LD/CP-2, I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	6
8	E.A.F.M.	56	17	5	2	0	6	2	0	0	5	1	0	0	8	2	1	0	2	0	0	0	4	1	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-1	2
9	Textile Dying & Painting	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Geology	8	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LD/CP- 1 (Backlog)	0
11	Law	8	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI-1, LD/CP-2 (Backlog)	0
12	Drawing & Painting	10	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	B/LV-1(Backlog) , HI-1	0
13	Economics	47	14	5	1	0	5	2	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-1	2
14	English	55	17	5	1	0	6	2	0	0	5	1	0	0	8	2	1	0	2	0	0	0	4	1	0	0	B/LV-2 (1 Backlog), HI-1, LD/CP-2 (Backlog), I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	2
15	Geography	48	14	5	1	0	5	2	0	0	4	1	0	0	7	2	1	0	2	0	0	0	3	1	0	0	B/LV-2, HI-1, LD/CP-1 (Backlog), I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	2
16	Hindi	66	19	6	2	0	7	2	1	0	5	2	0	0	10	2	1	0	3	0	0	0	5	1	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-1, I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	3
17	History	50	14	5	1	0	5	2	0	0	5	1	0	0	7	2	1	0	2	0	0	0	4	1	0	0	B/LV - 1,HI - 1, LD/CP – 2 (1 Backlog), I.D., M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	2
18	Sociology	42	12	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	6	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-1	2
19	Music (Vocal)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Philosophy	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV-1 (Backlog)	0
21	Political Science	57	17	5	2	0	7	2	0	0	5	1	0	0	8	2	1	0	2	0	0	0	4	1	0	0	B/LV-1 (Backlog), HI-2, LD/CP-1, I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	2
22	Public Administration	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV-1 (Backlog), HI-1	0
23	Sanskrit	39	12	4	1	0	5	1	0	0	3	1	0	0	6	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	B/LV-1, HI-1, LD/CP-1 (Backlog), I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD - 1	1
24	Urdu	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HI- 1	0
25	Home Science (Food Nutrition)	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV-1	0
26	Home Science (Education Extension)	8	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV-1	0
27	Home Science (Home Management)	7	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV-1	0
28	Home Science (Child Development)	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV-1	0
29	Home Science (Clothing Textile)	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV-1	0
30	Agriculture (Antomology)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV - 1	0
31	Punjabi	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B/LV-1	0
	Total	**918**	**296**	**85**	**23**	**0**	**100**	**28**	**3**	**0**	**74**	**17**	**1**	**0**	**135**	**35**	**9**	**0**	**32**	**2**	**0**	**0**	**64**	**13**	**1**	**0**	**B/LV- 30 (5 Backlog), HI-22, LD/CP-25 (15 Backlog), I.D.,M.I., S.L.D, Autism & MD -12**	**34**

Abbreviations Used : Gen. – General, UR – Unreserved, S.C. – Scheduled Castes, S.T.- Scheduled Tribes, O.B.C. – Other Backward Classes, M.B.C.- More Backward Classes, E.W.S. – Economically Weaker Sections, B/LV – Blindness and low vision , H.I. – Hearing Impaired, LD/CP – Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I. – Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, M.D. – Multiple Disability

नोट :–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

(क्रमशः)

4. विशेष योग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलबधता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं (राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 की अनुसूची – 1 के बि.सं. 8 के अनुसार) :–

1. (i) Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in the relevant subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.
(ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
(iii) Candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor.
(iv) NET/SLET/SET shall also not be required for such masters programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.

तथापि, दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम.फिल/पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पीएच.डी. डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें NET/SLET/SET की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी :–
(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई हो,
(ख) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन किया गया हो।
(ग) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गयी हो।
(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल (Refereed) पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो।
(ड) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।
उपरोक्त (क) से लेकर (ड) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्यों/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

2. Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा (राज्य सरकार के पत्र दिनांक 21.02.2014 के अनुसार) : Good academic record means an average of at least 55% marks in three examinations preceding to Master's Degree with at least 50% marks in graduation and any one of Secondary/High School, Higher Secondary/Senior Secondary or equivalent grades in the point scale wherever grading system is followed without including any grace marks and/or rounding off to make it 55% or 50% as the case may be.

विशेष नोटः उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) एवं निःशक्तजन वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंको की छूट देय है। उक्त 5 प्रतिशत अंको की छूट औसत 55 प्रतिशत अंको में देय है, सैकण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी तथा स्नातक तीनों परीक्षाओं के अंकों में पृथक्–पृथक् रूप से 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय नहीं है।

नोट :–
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET/SET) उत्तीर्ण मान्य है।
2. 01 जून, 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से SLET/SET उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा।
3. 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात् अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण (SLET/SET) अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपर्युक्त अर्हता में निम्नानुसार छूट देय होगी :–
(अ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) एवं निःशक्तजन वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता/शैक्षणिक योग्यता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
(ब) दिनांक 19.09.1991 से पूर्व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएच.डी. उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर में 5 प्रतिशत की छूट देकर 55 से 50 प्रतिशत।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **नोट :– साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।**
पे बैंड व ग्रेड पे	15600–39100 (AGP-6000) **नोट :–** राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.07.2020 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to General Category and Rajasthan State's Economically Weaker Sections (E.W.S.)	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	10 वर्ष TenYears
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women **Explanation :-** In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। That the upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Services personnel transferred to the Reserve.	
6.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
7.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.	
8.	राजस्थान राज्य के कार्य कलापों में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in these rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in through the Commission by interview.	
9.	सरकार के शिक्षा विभाग और पंचायत समितियों के Substantive अध्यापकों के मामले में तीन अवसरों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट दी जायेगी। That the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 15 years in the case of substantive teachers in the Education Department of the Government and the Panchayat Samities subject to the limit of 3 chances.	
10.	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या डाक्टरेट साथ में किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की उपाधि और/या स्नातकोत्तर कक्षाओं का 5 वर्ष का अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में तीन अवसरों के अध्याधीन रहते हुए उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। That the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 5 years in the case of candidates having a First Class Master's Degree or a Doctorate in the subject concerned of a University established by law in India with 5 years experience of teaching Degree and / or post-graduate classes in a recognized college subject to the limit three chances.	

(क्रमशः)

11.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। That the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age-limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.
12.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.
13.	पूर्णकालिक विधि व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit mentioned above shall be 40 years for recruitment to the post of whole time lecturer in law.
14.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. स्पष्टीकरण :— कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।

नोट —

1. उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे— आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
3. **पद क्रम संख्या 1 से 30 तक** के पद आयोग द्वारा वर्ष 2014—15 या उससे पूर्व में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23—09—2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी **दिनांक 01.07.2020** को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट** देय होगी। **पद क्रम संख्या 31** के पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किये जाने के कारण उक्त अधिसूचना अनुसार उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में **कोई छूट देय नहीं** होगी।
4. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे।
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक 09.11.2020 से दिनांक 08.12.2020 रात्रि 12:00 बजे तक।**
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा—निर्देशों (Instructions for Applicants), **विस्तृत विज्ञापन** एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। 3. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। 4. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा। 5. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। 6. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके। 8. **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।** 9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। 10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन—लाईन आवेदन करें। 11. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। 12. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंवे।** 13. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :— आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए भेजी जायेगी। एस.एम.एस. से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :—

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित शुल्क रूपये 300/— देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। **ऑनलाईन संशोधन के तहत् आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा।** आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त केटेगरी जोडना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार के अंतिम परिणाम घोषणा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। परीक्षा के प्रत्येक चरण के मूल परिणाम (मूल परिणाम से तात्पर्य प्रथम बार जारी परिणाम से होगा ना कि अन्य किसी रिशफल परिणाम से) से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होंगे। किसी भी स्थिति में किसी चरण के परिणाम घोषणा के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों में पूर्व घोषित परिणाम में संशोधन नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण के परिणाम में मूल केटेगरी में उत्तीर्ण हैं एवं बाद में विधवा/परित्यक्ता/विकलांग हो गए हो तो **उन्हें अगले चरण की परिणाम घोषणा की तिथि तक इस श्रेणी का लाभ देय होगा।**
3. प्रथम चरण की परीक्षा आयोजन के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिवस का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी नाम, परीक्षा केन्द्र, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं विषय/पद के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाईन कर सकेंगे। सभी संशोधनों हेतु शुल्क रूपये 300/— निर्धारित है।
4. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्कः—

(क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :— **रुपये 350/—**
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :— **रुपये 250/—**
(ग) समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु — **रुपये 150/—**

नोट :—

1. टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति परीक्षा शुल्क रूपये 150/— होगा।
2. **राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।**
3. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।**

Scheme of competitive examination for the post of Assistant Professor

The Scheme of competitive examination shall consist of-
(i) Written examination; and (ii) Interview

A. Written examination:

The written examination shall consist of the following papers carrying the marks and time allowed, as shown against them :-

Paper	Subjects	Marks	Time
I	Subject concerned with the post	75	3 Hours.
II	Subject concerned with the post	75	3 Hours.
III	General Studies of Rajasthan	50	2 Hours.
Total Marks		**200**	

B. Interview:

(i) The interview shall carry 24 marks.
(ii) To the extent of three times of total number of vacancies (category wise), the candidates who obtain such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the Commission, shall be summoned for interview.

C. Syllabus:

The syllabus shall be such as specified by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

Note :- The Commission shall not recommend a candidate who has failed to appear in any of the written paper and interview.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :—

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई—मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
(2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन—पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन—पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(क्रमशः)

(3) **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**

(4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई—मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन—पत्र के Preview मे अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन—पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। **अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।** साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई—मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई—मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई—मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन—पत्र सही—सही भर दिया होगा/जायेगा।

(5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होनें के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन—पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।

(6) आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगें, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। **परीक्षा के लिये प्रवेश—पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन—पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है।** आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को **विस्तृत आवेदन—पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई—प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।** आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

(8) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात्/प्रत्येक चरण की परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यकता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यकता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यकता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(9) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण—पत्र होनें पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

(10) आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

(11) परीक्षार्थियों को ई—प्रवेश—पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

(12) परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।

(13) परीक्षा के दौरान प्रश्न—पत्र में अंकित दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न—पत्र में दिये गये दिशा—निर्देशों का पालन नहीं करनें के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।

(14) प्रश्न—पत्र में त्रुटि होनें अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होनें अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद—विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(15) परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(16) यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होनें की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(17) राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण—पत्रों का सत्यापन :—

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :—

1. जाति प्रमाण—पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण—पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होंने आवश्यक हैं।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण—पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण—पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।**
8. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण—पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण—पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार प्रमाण—पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण—पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी एवं अन्यादि के अनुसार ऑनलाईन आवेदन—पत्र की अन्तिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक प्रमाण—पत्र होना आवश्यक है। **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यकता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।**
9. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान** — राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया/गई है या आगामी एक वर्ष के भीतर—भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार (जो भी आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार लागू हो) में उपस्थित होने से पूर्व आयोग को सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क—2/84 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह लोक सेवक के रूप में ही माना जाएगा अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा **परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा।**
10. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह—13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होते है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
12. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित अनुभव प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या :– 03/भर्ती/योग एवं प्रा. चि.अ./आयुर्वेद विभाग/**EP-I**/2020–21 दिनांक : 27.10.2020

आयोग द्वारा आयुर्वेद विभाग के लिए राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत **योग एवं प्राकृतिक चिकित्साधिकारी** (Yoga and Prakritik Chikitsa Adhikari) के पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

No. of Post (s)	Gen.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
33	11	3	1	0	4	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0

Horizontal Reservation :- OA/OL – 2, Ex-serviceman – 1

Abbreviations Used : Gen. – General, S.C. – Scheduled Castes, S.T.- Scheduled Tribes, O.B.C. – Other Backward Classes, M.B.C.- More Backward Classes, E.W.S. – Economically Weaker Sections, O.A. – One Arm, O.L. – One Leg

नोट :–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. विशेष योग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

शैक्षणिक योग्यताएं :–

1. A Bachelor Degree in Naturopathy and Yogic Sciences from a University established by law in India (Five or more than Five Years' Regular Course).
2. Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

नोटः– आवेदक का राजस्थान इण्डियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा विस्तृत आवेदन पत्र/साक्षात्कार के समय पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **नोट :– साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।**
पे मैट्रिक्स	पे मैट्रिक्स लेवल L -14 **नोट :–** राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम।

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to General Category and Rajasthan State's Economically Weaker Sections (E.W.S.)	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एव अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	10 वर्ष TenYears
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women **Explanation :-** In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Service personnel who were transferred to the Reserve.	
6.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for an appointment under these Rules.	
7.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। In the case of other ex-prisoners, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
8.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। A person appointed temporarily to the post in the service shall be deemed to be within the age-limit had he been within the age-limit when he was initially appointed even though he has crossed the age limit when he appears finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had he been eligible as such at the time of his initial appointment.	
9.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidates shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
10.	राजस्थान राज्य के कार्य कलापों में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in the Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.	
11.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers & Short Service Commissioned Officers after release from Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
12.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.	
13.	उस व्यक्ति को जो संवीदा आधार पर लगातार आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, होम्यौपैथी चिकित्साधिकारी, सरकार में यूनानी चिकित्साधिकारी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में काम कर रहा है, को की गई सेवा के बराबर अवधि में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी जोकि अधिकतम पांच वर्ष की होगी। The upper age limit mentioned above, for the person who is continuously working on contract basis as Ayurved Chikitsadhikari, Homoeopathy Chikitsadhikari, Unani Chikitsadhikari in Government, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh, National Rural Health Mission shall be relaxed by the period equal to the service rendered by him subject to maximum of five years.	
14.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी। The upper age limit shall be relaxed by three years in the case of candidates holding post graduate Degree in Ayurved.	

(क्रमशः)

15\. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।

According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable.

स्पष्टीकरण :– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।

नोट –

(1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किये जा रहे है। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में **कोई अतिरिक्त छूट देय नहीं** होगी।

(4) राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

संवीक्षा परीक्षा में प्राप्ताकों का 40 प्रतिशत भारांक की गणना $\frac{\text{Marks Secured in Screening Test}}{\text{Total Marks of Screening Test}} \times 40$	अकादमिक का भारांक	साक्षात्कार का भारांक	कुल पूर्णांक
40 अंक	**20 अंक**	**40 अंक**	**100 अंक**

संवीक्षा परीक्षा का स्थान व माह

संवीक्षा परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम

संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** संवीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

आवेदन अवधि

दिनांक 05.11.2020 **से दिनांक** 24.11.2020 रात्रि 12–00 बजे तक

आवेदन प्रक्रिया

1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों (Instructions for Applicants), **विस्तृत विज्ञापन** एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।
2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा।
3. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।
4. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा।
5. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
6. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
8. **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।**
9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन–लाईन आवेदन करें।
11. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
12. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंवे।**
13. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :– आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए भेजी जायेगी। एस.एम.एस. से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :–

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित शुल्क रूपये 300/– देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। **ऑनलाईन संशोधन के तहत् आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा।** आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त केटेगरी जोडना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार के अंतिम परिणाम घोषणा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। परीक्षा के प्रत्येक चरण के मूल परिणाम (मूल परिणाम से तात्पर्य प्रथम बार जारी परिणाम से होगा ना कि अन्य किसी रिशफल परिणाम से) से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होंगे। किसी भी स्थिति में किसी चरण के परिणाम घोषणा के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों में पूर्व घोषित परिणाम में संशोधन नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण के परिणाम में मूल केटेगरी में उत्तीर्ण हैं एवं बाद में विधवा/परित्यक्ता/विकलांग हो गए हो तो **उन्हें अगले चरण की परिणाम घोषणा की तिथि तक इस श्रेणी का लाभ देय होगा।**
3. प्रथम चरण की परीक्षा आयोजन के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिवस का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी नाम, परीक्षा केन्द्र, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं विषय/पद के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाईन कर सकेंगे। सभी संशोधनों हेतु शुल्क रूपये 300/– निर्धारित है।
4. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्कः–

(क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :– **रुपये 350/–**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :– **रुपये 250/–**

(ग) समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु – **रुपये 150/–**

नोट :–

1. टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति परीक्षा शुल्क रूपये 150/– होगा।
2. **राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।**
3. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।**

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :–

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आशवस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(3) **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**

(4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई–मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Preview मे अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। **अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।** साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई–मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन–पत्र सही–सही भर दिया होगा/जायेगा।

(5) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन–पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होनें के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन–पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।

(6) आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगें, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। **परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है।** आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को **विस्तृत आवेदन–पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई–प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।** आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी. /विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

(8) माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात्/प्रत्येक चरण की परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यकता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यकता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यकता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(9) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र होनें पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

(10) आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

(11) परीक्षार्थियों को ई–प्रवेश–पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

(12) परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।

(13) परीक्षा के दौरान प्रश्न–पत्र में अंकित दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न–पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करनें के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।

(14) प्रश्न–पत्र में त्रुटि होनें अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होनें अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(क्रमशः)

(पृष्ठ 5 का शेष)

आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन–पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :–

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित आवेदन–पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन–पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना–पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र/पत्र–व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होनें के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन–पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :–

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन–पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता हैं, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय–समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(शुभम् चौधरी)
सचिव

डी.आई.पी.आर/सी/8719/2020 रा.रो.सं 16/2020

(पृष्ठ 7 का शेष)

(15) परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(16) यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होनें की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(17) राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण–पत्रों का सत्यापन :–

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :–

1. जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होंने आवश्यक हैं।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Asset Certificate प्रस्तुत करना होगा।**
8. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे– श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण–पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार प्रमाण–पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी एवं अन्यादि के अनुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र की अन्तिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यकता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।**
9. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान** – राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के अनुसार कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया/गई है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार (जो भी आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार लागू हो) में उपस्थित होने से पूर्व आयोग को सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह लोक सेवक के रूप में ही माना जाएगा अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा **परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा।**
10. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्ताने पैदा होते है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
12. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित अनुभव प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन–पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :–

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित आवेदन–पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन–पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना–पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र/पत्र–व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होनें के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन–पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :–

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन–पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता हैं, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय–समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(शुभम् चौधरी)
सचिव

डी.आई.पी.आर/सी/8635/2020 रा.रो.सं 17/20202

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। – संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। – सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
महेश शर्मा
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
श्रीमती नवरेखा
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
ई-मेल: adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्त्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.बी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन- 0141-3981148 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक-श्रीमती नवरेखा